[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2020 का विधेयक संख्यांक 31

[दि इन्सोलवेंसी एंड बैंकरपसी कोड (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अत:स्थापित की नयी धारा 10क का अत:स्थापन ।

जाएगी, अर्थात् :—

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रियाओं के आरंभ किए जाने का निलंबन ।

"10क. धारा 7, धारा 9 और धारा 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 25 मार्च, 2020 से उद्भूत किसी व्यतिक्रम हेतु, छह मास के लिए या ऐसी तारीख से एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि, जो इस संबंध में अधिसूचित की जाए, के लिए निगमित ऋणी के विषय में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन फाईल नहीं किया जाएगा :

परंतु उक्त अवधि के दौरान होने वाले उक्त व्यतिक्रम के लिए निगमित ऋणी के विषय में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कोई आवेदन कभी भी फाईल नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के उपबंध 25 मार्च, 2020 से पूर्व उक्त धाराओं के अधीन कारित किसी व्यतिक्रम को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 66 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यतिक्रम जिसके विरूध धारा 10क के अनुसार निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाना निलंबित किया गया है, के संबंध में उपधारा (2) के अधीन समाधान वृतिक द्वारा कोई आवेदन फाईल नहीं किया जाएगा ।"।

निरसन और व्यावृत्ति

4. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है । 2020 का अध्यादेश सं० 9

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (एक संहिता), निगमित व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित विधियों का समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य के अधिकतमीकरण के लिए समेकन तथा संशोधन करने, उद्यमता, उधार की उपलब्धता और सभी पणधारियों के हितों के संतुलन का संवर्धन करने, जिसके अंतर्गत सरकारी शोध्यों के संदाय की पूर्विकता के क्रम में परिवर्तन भी है तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करने और उससे संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. कोविड-19 महामारी द्वारा कारित असाधारण आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला निपटान प्रक्रिया के आरंभ को अस्थायी रूप से, प्रारंभ में छह मास या ऐसे अतिरिक्त अवधि, जो 25 मार्च, 2020 से एक वर्ष से अनधिक हो, के लिए कोविड-19 द्वारा प्रभावित कंपनियों को दिवाला कार्यवाहियों में ढकेले जाने की अव्यवहित आशंका का सामना किए बिना वित्तीय संकट से उभरने में सहायता प्रदान करने के लिए, निलंबित करने की आवश्यकता महसूस हुई थी । उपरोक्त कथित निलंबन का लाभ उन सभी व्यतिक्रम करने वाले निगमित ऋणीयों को उपलब्ध होगा, जो 25 मार्च, 2020 से और निलंबन की अवधि की समाप्ति तक व्यतिक्रम करते हैं ।

3. उपरोक्त परिस्थितियों में इस संहिता के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया था । तथापि, संसद् सत्र में नहीं थी और तुरंत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित किया गया था ।

4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020, जो उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :—

(क) 25 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात्, छह मास की अवधि या ऐसी अतिरिक्त अवधि, ऐसी तारीख से एक वर्ष से अनधिक होगी, जो इस संबंध में अधिसूचित की जाए, उद्भूत किसी व्यतिक्रम की बाबत धारा 7, धारा 9 और धारा 10 के अस्थायी निलंबन के लिए उपबंध करने हेतु इस संहिता में नई धारा 10क का अंत:स्थापन करना ; और

(ख) संहिता की धारा 66 में नई उपधारा (3) का अंत:स्थापन यह उपबंध करने के लिए करना कि ऐसे व्यतिक्रम, जिसके विरुद्ध धारा 10क के अनुसार निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाना निलंबित किया गया है, के संबंध में उपधारा (2) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
9 सितंबर, 2020

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक को यदि अधिनियमित किया जाता है तो भारत की संचित निधि से कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, संहिता की धारा 10 के पश्चात् एक नई धारा 10क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को 25 मार्च, 2020 को या उसके पश्चात् उद्भूत किसी व्यतिक्रम के लिए एक वर्ष के अनधिक की ऐसी अन्य तारीख अधिसूचित करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, जिसके लिए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए धारा 7, धारा 9 और धारा 10 के अधीन कोई आवेदन फाइल नहीं किया जाएगा ।

2. वे विषय, जिनकी बाबत पूर्वोक्त वर्णित अधिसूचना की जा सकेगी, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—419RS(CRC)—11.09.2020.